न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 104 / 2023	2023 / 456	26.07.2023	20.11.2024

1. कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. शाहिद खान पुत्र अजीज खान पठान निवासी सांगवी, तालुका भोकरधन, जिला जालना (महाराष्ट्र)—431114
2. शेख मौबिन पुत्र शेख मोईन, निवासी ए.पी. पराधा, तालुका भोकरधन, जिला जालना (महाराष्ट्र)—431114
3. अरसद खान पुत्र अफसर खान पठान, निवासी पोस्ट पिनम्पालग्न, तालुका भोकरधन, जिला जालना (महाराष्ट्र)—431114

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः—

01.श्री बबलेश कुमार, कृषि अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि ———————— अनुपस्थित।

—::निर्णय::—

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 31.01.2022 को रात्रि 9.30 बजे झन्कार होटल (हनुमान सर्किल के पास, अलवर) एक पिकअप गाडी नम्बर एम.एच. 21 बी.एच. 5313 खडी दिखाई दी। जिसमें प्याज बीज की पेटी रखी हुई थी। जिसकी सूचना श्रीमान उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर को दी गई। श्रीमान के आदेशानुसार पुलिस थाना एनईबी, अलवर से सिग्मा के साथ सिपाही श्री हजारी 1594 एवं होमगार्ड जवान श्री सुन्दर 635 होटल हान्कार पहुँचे। पिकअप की जांच करने पर शाहिद खान पुत्र श्री अजीज खान पठान निवासी सांगवी पिकअप तालुका भोकरधन जिला जालना ने बताया कि शेख अकबर अब्दुल सामद के नाम से पंरत्ना सीड्स कम्पनी का बिल 406 है दूसरा बिल शाहिद खान पुत्र श्री अजीज खान अलवर के नाम से इनवाईस नम्बर जेबी 73 दिखाया गया। आरोपी शाहिद खान ने पूछताछ में बताया कि प्याज बीज का बेचान किसानो को गांवो में जाकर करते है। उक्त वाहन को पुलिस की सहायता से पुलिस थाना एन.ई.बी अलवर लाया गया। इसमे रखे हुए माल की गणना की गई। जिसमे जयभारत कोप साईन्स की 19 पेटी में कुल 380 किग्रा प्याज बीज है। पंचरत्ना सीड्स कम्पनी की 29 वेटी में कुल 609 किग्रा प्याज बीज है साथ में 3 बोरी बीज है, जिसमें 150 किग्रा वजन पाया गया।. उक्त माल की जब्ती की कार्यवाही करते हुए सीजर नोट, फर्द जब्ता तलाशी एवं भौका 3 पर्चा तैयार कर उक्त बीज के तीन नमूना आहरण किये गये। जिनका कोड (BBK/S/2021-22/02, BBK/S/2021-22/03 And BBK/S/2021-22/04) दिया गया। श्री शाहिद खान पुत्र श्री अजीज खान पठान निवासी सांगवी तालुका भोकरधन जिला जालना, ड्राईवर शेख मौबिन पुत्र श्री शेख मोईन निवासी ए.पी पराचा तालुका भोकरधन जिला जालना (महाराष्ट्र) एवं अरसद खान पुत्र श्री अफसर खान पठान निवासी पोस्ट पिनम्पालग्न तालुका भोकरधन जिला जालना (महाराष्ट्र) उक्त आरोपियों के द्वारा इस माल का बेचान किसानों को किये जाने हेतु लाया गया है। आरोपी इस माल को सीधे किसानो को बेचते, इससे यह साबित होता है कि उक्त माल का बेचान अवैध रूप से किसानो को करके किसानों के साथ धोखाधडी किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। जिसमे किसानो को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस कारण उक्त आरोपियो के खिलाफ बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 3 एवं 8 (अ), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर में एफआईआर दर्ज

20.11.24

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

करवाई गई। उक्त जब्तशुदा प्याज बीज की मात्रा जयभारत कोप साईन्स की 19 पेटी में कुल 380 किग्रा प्याज बीज है। पंचरत्ना सीड्स कम्पनी की 29 वेटी में कुल 609 किग्रा प्याज बीज है साथ में 3 बोरी बीज है, जिसमें 150 किग्रा वजन को कार्यालय के भण्डारशाखा में सुपुर्द करके प्राप्ति रसीद ली गई। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्त प्याज बीज को परीक्षण में अमानक पाये जाने पर राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार अप्रार्थी शाहिद खान द्वारा प्याज बीज का बेचान किसानो को गांवो में जाकर किया जाना बताया गया है। उक्त जयभारत कोप साईन्स की 19 पेटी वक्त जांच कुल 380 किग्रा प्याज बीज पाया गया है। पंचरत्ना सीड्स कम्पनी की 29 वेटी में कुल 609 किग्रा प्याज बीज है साथ में 3 बोरी बीज है, जिसमें 150 किग्रा वजन पाया गया। निरीक्षक बीज/कीटनाशी/उवर्रक, बबलेश कुमार द्वारा उक्त जब्त बीज के नमूने आहरित कर जांच करवाई गई जिसमें उक्त जब्त प्याज बीज अमानक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त प्याज बीज का अवैध रूप से भण्डारण एवं बेचान किया जा रहा था। उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 3 एवं 8 (अ), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा बीज जयभारत कोप साईन्स की 19 पेटी कुल 380 किग्रा, पंचरत्ना सीड्स कम्पनी की 29 वेटी में कुल 609 किग्रा एवं साथ में 3 बोरी बीज कुल वजन 150 किग्रा बीज को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर जिला अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा बीज जयभारत कोप साईन्स की 19 पेटी कुल 380 किग्रा, पंचरत्ना सीड्स कम्पनी की 29 वेटी में कुल 609 किग्रा एवं साथ में 3 बोरी बीज कुल वजन 150 किग्रा बीज, विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.11.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)